उपर्युक्त निर्णयों का उल्लेख किया गया है. आगे निगरानी की जरूरत है यदि नियोक्ता के पास अनिवार्य रिटायर होने का अवसर है तो उसे नहीं रखा जाना चाहिए एक सरकारी नौकर. उच्च न्यायालय ने केवल गुप्त पर कार्रवाई नहीं की है जानकारी लेकिन ठोस सबूतों पर काम किया है. निरीक्षण न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक अवसर दिया गया था याचिकाकर्ता. पूर्ण द्वारा दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ प्रतिनिधित्व के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आवश्यकता नहीं है कोर्ट. सबसे पहले, क्योंकि प्रतिनिधित्व अभी भी किया जा सकता है और दूसरी बात यह है कि ऊपर दिए गए विवाद के मद्देनजर, सीखा एकल न्यायाधीश भी उच्च न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है, जब वह मामले से निपटता है एक निरीक्षण न्यायाधीश के रूप में. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कोई मैलाफाइड नहीं है प्रतिवादी की ओर से – उच्च न्यायालय; ऐसा नहीं है *माला फाइड* किया गया है इसके खिलाफ आरोप लगाया. घूंघट उठाने का कोई सवाल ही नहीं उठता. दोहराने के लिए, यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कभी कोई जांच का आदेश नहीं दिया गया था ताकि यह माना जा सके कि लगाए गए आदेश को किसी भी तरह से बाय-पास करने के लिए पारित किया गया था जांच.

(57) इसके अलावा, के मामले में आयोजित किया गया *शिरिश कुरनार रंगराव पाटिल* (सुप्रा) उच्च न्यायालय के किसी भी उदाहरण की निंदा या समझौता अपने अधिकारियों में से एक के बेईमान काम के साथ केवल योगदान होगा न्यायिक नींव का क्षरण.

(58) उपरोक्त कारणों के मद्देनजर, तकनीकी भी नहीं हैं याचिकाकर्ता के पक्ष में. भले ही, वे उपरोक्त के मद्देनजर थे

याचिकाकर्ता के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मामला, उन्हें नहीं करना चाहिए के मामले में टिप्पणियों को देखते हुए बहुत महत्व दिया जाना चाहिए *शिरिश कुरनार रंगराव पाटिल* (Supra). इसलिए यह रिट याचिका है, खारिज कर दिया.

R.N.R.

अमर बीर सिंह गिल और वी.एस. अग्रवाल, जे.जे. के समक्ष
भीरा @ *नाडा, – याचिकाकर्ता*
बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, *– उत्तरदाताओं*
C.W.P. No. 2000 का 4508
21 मई 2001

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 – धारा *8 और 209 – हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 –* नियम *61 और 62 –* सरपंच *के कार्यालय का चुनाव – चुनाव प्रक्रिया में* भारी*अनियमितताएं-* राज्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव को अमान्य घोषित किया और नए सिरे से चुनाव का आदेश दिया– चुनाव आयुक्त ने फिर से मतदान के आदेश और फिर से गिनती करके चुनाव परिणामों के पुनर्निर्माण के आदेश को रद्द किया चुनाव आयुक्त के पास अपनी समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है-याचिकाकर्ता को मतों की फिर से गिनती के संबंध में कोई नोटिस नहीं जारी किए गए -याचिकाकर्ता के पीछे की गई फिर से गिनती-*1994* के नियमों का उल्लंघन-फिर से मतदान का निर्देश देते समय मतों की फिर से गिनती के संबंध में अधिसूचना रद्द कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 कहीं भी निर्वाचन आयुक्त के पास समीक्षा की ऐसी किसी शक्ति का उल्लेख नहीं करता है। चुनाव आयुक्त द्वारा अपने अधिकार में निहित ऐसी किसी भी शक्ति का दावा नहीं किया जा सकता है। पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा

सकता है जब उसे उस क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाता है जिसके तहत वह अपनी अधिकारिता प्राप्त करता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम या हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 में कहीं भी चुनाव आयुक्त के पास अपनी समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसे किसी अधिकार क्षेत्र का उल्लेख नहीं है। चुनाव आयुक्त द्वारा पुनः मतदान का निर्देश देने वाली अपनी पूर्व अधिसूचना को रद्द करने और पुनः गणना के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित करने की विवादित अधिसूचना, इस प्रकार, अधिकार क्षेत्र से परे होने के कारण, कानून के तहत मान्य नहीं है।

(पैरा 22)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चुनाव परिणामों के पुनर्निर्माण या यहां तक कि पुनः मतगणना की कवायद शुरू करके, याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और न ही ऐसा कोई आदेश रिकॉर्ड पर रखा गया है। विवादित अधिसूचना के तहत पुनः गिनती याचिकाकर्ता के पीछे की गई थी जो हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, *1994* के स्पष्ट प्रावधान के पूरी तरह से खिलाफ है। मतों की गिनती या फिर से गिनती के समय किसी उम्मीदवार या उसके अधिकृत एजेंट की उपस्थिति को समाप्त नहीं किया जा सकता है। मतदान/निर्वाचन अधिकारी की ओर से मतगणना या मतों की पुनः गणना के समय उम्मीदवार या उसके अधिकृत अभिकर्ता को बुलाने या अनुमति देने में कोई चूक चुनाव के परिणाम को दूषित करती है

(पैरा 22 और 23)

आर. के. गुप्ता, अधिवक्ता, के साथ आर. के. राणा अधिवक्ता-याचिकाकर्ता के लिए

रितु बहरी, DAG, हरियाणा

डॉ. बलराम गुप्ता, अधिवक्ता

सुरेंदर गर्ग, अधिवक्ता-उत्तरदाताओं के लिए

निर्णय

अमर बीर सिंह गिल, जे.

(1) क्या चुनाव आयोग हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिसके द्वारा वह पुनर्मतदान के आदेश की समीक्षा कर सकता है और इसके बजाय नए सिरे से वोटों की दोबारा गिनती के आदेश पारित कर सकता है - क्या इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए प्रश्न रखा गया है।

(2) हरियाणा राज्य में 16-3-2000 को हुए ग्राम पंचायतों के पिछले चुनाव में, याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं संख्या 5 से 9 के साथ गांव राजौंद की ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा था, जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था। मतदान की तारीख यानी 16-3-2000 को बूथ कैप्चरिंग और मतपत्र छीनने आदि सहित बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई और मामला दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत पीठासीन अधिकारी से भी की लेकिन इसके बावजूद गिनती हुई और याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। चूंकि प्रतिवादी संख्या 5, जो इंडियन नेशनल लोक दल यानी राज्य में सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार था और स्थानीय विधायक प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा समर्थित था, प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रतिवादी संख्या 5 को निर्वाचित घोषित करने के लिए पीठासीन अधिकारी पर राजनीतिक दबाव डाला। मतपत्र सहित अन्य चुनाव सामग्री छीन ली गई, छेड़छाड़ की गई और पीठासीन अधिकारी ने राजनीतिक दबाव में बाद में प्रतिवादी नंबर 5 को याचिकाकर्ता से अधिक वोट प्राप्त करने वाला घोषित कर दिया, जिस पर पूरा गांव

सड़कों पर उतर आया और स्थिति तनावग्रस्त गई। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी गांव पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उपायुक्त ने तथ्यों की जांच करने और संबंधित सामग्री का अध्ययन करने के बाद प्रक्रिया में अनियमितताओं और त्रुटियों के बारे में पुष्टि की, जिसने मतदान को प्रभावित किया और सभी पीठासीन अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, चुनाव आयोग को पुनर्मतदान के आदेश की सिफारिश की। जिला चुनाव आयुक्त की हैसियत से उपायुक्त ने सिफारिश की और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के साथ इसे मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा -प्रतिवादी नंबर 2 को भेज दिया। प्रतिवादी नंबर 2 ने उपायुक्त द्वारा भेजे गए रिकॉर्ड का अध्ययन करने और उनके साथ मामले पर चर्चा करने के बाद, अधिसूचना दिनांक 17-3-2000, अनुलग्नक P-1 जारी की, जिसमें गांव में सरपंच पद के लिए पुनर्मतदान का आदेश दिया गया और इसके लिए तारीख 18-3-2000 तय कर दी। जिला प्राधिकारियों को 18-3-2000 को पुनर्मतदान की व्यवस्था करने के लिए सूचित किया गया । हालाँकि, जिला अधिकारियों ने सूचित किया कि समय की कमी और पर्याप्त संख्या में मतपत्रों की अनुपलब्धता के कारण पुनर्मतदान की तिथि 22-3-2000 तक बढ़ा दी जाये। हालाँकि, 22-3-2000 को पुनर्मतदान होने से पहले ही टेलीफोन कॉल आने पर पता चला कि इसे स्थगित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस बीच, प्रतिवादी नंबर 5 ने राज्य चुनाव आयोग-प्रतिवादी नंबर 2 पर राजनीतिक दबाव डाला और उसने, राजनीतिक दबाव में, बिना कोई नोटिस जारी किए और याचिकाकर्ता और अन्य उम्मीदवारों को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, पुनर्मतदान के अपने पहले के फैसले की समीक्षा की और बाद की अधिसूचना दिनांक 3-4-2000 अनुलग्नक P-2 द्वारा पुनर्मतगणना का आदेश दिया। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि राजनीतिक दबाव के कारण राज्य चुनाव आयुक्त ने पूरा चुनाव रिकॉर्ड बदल दिया और पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को अपने कार्यालय में बुलाया और

नए सिरे से बयान दर्ज किए गए। पुनर्मतदान के पहले के फैसले की समीक्षा करने के लिए चुनाव कर्मचारियों से ताजा रिपोर्ट तैयार की गई और बदले हुए रिकॉर्ड के आधार पर, प्रतिवादी नंबर 2 ने विवादित अधिसूचना, अनुलग्नक P-2 जारी की और विवादित अधिसूचना पर कार्रवाई करते हुए दोबारा याचिकाकर्ता और अन्य उम्मीदवारों यानी उत्तरदाताओं संख्या 6 से 9 की अनुपस्थिति में 6-4-2000 को कैथल में गिनती की गई और प्रतिवादी संख्या 5 को सरपंच के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया । याचिकाकर्ता का दावा है कि प्रतिवादी नंबर 2 की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध, मनमानी, दुर्भावनापूर्ण, राजनीति से प्रेरित है, असंवैधानिक है और रद्द किये जाने योग्य है। वह अधिसूचना दिनांक 3-4-2000, अनुलग्नक P-2 को रद्द करने और प्रतिवादी संख्या 5 को ग्राम पंचायत, राजौंद के सरपंच के पद पर निर्वाचित घोषित करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करने और राजौंद गांव के सरपंच पद के लिए पुनर्मतदान कराने के लिए उत्तरदाताओं क्रमांक 1 से 3 को आदेश देने की मांग करता है।

(3) हरियाणा राज्य और उपायुक्त, जिला कैथल, प्रतिवादी संख्या 1 और 3 द्वारा दायर जवाब दावे में, यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा की गई जांच के बाद, इसे दोबारा मतदान करने का मामला नहीं पाया गया बल्कि यह पुनर्मतगणना का मामला था और तदनुसार अधिसूचना जारी की गई थी।

(4) राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा -प्रतिवादी नंबर 2 ने भी अलग से जवाब दावा दाखिल किया। प्रारंभिक आपत्ति यह ली गई कि जब 28 अप्रैल 2000 को रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो प्रतिवादी संख्या 5 को पहले ही सरपंच के पद के लिए निर्वाचित घोषित किया जा चुका था और इस प्रकार उसके चुनाव को रिट याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती और याचिकाकर्ता के पास चुनाव के परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर हरियाणा

पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर करने का उचित उपाय है । योग्यता के आधार पर, यह माना जाता है कि प्रारंभ में उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कैथल से प्राप्त रिपोर्टों पर, मतदान केंद्र संख्या 5 पर वार्ड संख्या 10 के पंच के पद के चुनाव के लिए और सरपंच के पद के चुनाव के लिए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पुनर्मतदान का आदेश दिया गया था जो 18-3-2000 को होना था। लेकिन, 16 और 17 मार्च की रात को राजौंद में हुई हिंसा के बारे में 18 मार्च 2000 को द ट्रिब्यून में अखबार की रिपोर्ट छपी। समाचार-पत्र में मतदान के समय कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे में रिपोर्ट करने के बाद, इसके अलावा ग्राम पंचायत, राजौंद के सरपंच पद के चुनाव के परिणाम घोषित किए गए और 18-3-2000 को द ट्रिब्यून में बड़े पैमाने पर हिंसा की सूचना दी गई और चूंकि कानून परिणाम की घोषणा के बाद नए मतदान का प्रावधान नहीं करता है, इसलिए दिनांक 18 मार्च, 2000 के संचार के माध्यम से, अनुलग्नक R-2/3 उपायुक्त को सभी मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारियों की डायरी की प्रतियों, रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम की घोषणा के बारे में विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया था। यह भी स्पष्ट किया गया कि पुनर्मतदान के संबंध में अंतिम निर्णय मामले की आगे की जांच के बाद लिया जाएगा। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 2 ने इस बात से इनकार किया कि उसने राजनीतिक दबाव में काम किया और पूरे चुनाव रिकॉर्ड को बदल दिया। 16-3-2000 को हुए मतदान से संबंधित प्रासंगिक सामग्री 19-3-2000 को उपायुक्त से प्राप्त हुई थी और 6-4-2000 को होने वाली मतों की पुनः गिनती के लिए 3-4-2000 को उचित आदेश पारित किए गए थे। यह भी दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता ने किसी भी स्तर पर, उत्तर देने वाले प्रतिवादी से व्यक्तिगत सुनवाई की मांग नहीं की और न ही कोई शिकायत प्रस्तुत की। यह निर्णय उपायुक्त कैथल से प्राप्त सामग्री के आधार पर लिया गया। आगे यह भी दावा किया गया है कि मतपेटियों को नष्ट करने, मतपत्रों और अन्य

चुनाव सामग्री को क्षति/हानि/छेड़छाड़ करने की कोई रिपोर्ट नहीं थी और न ही बूथ पर कब्जा, इस अर्थ में कि किसी ने मतदान कर्मचारियों को जबरन हिरासत में लिया और जबरन उनसे मतपत्र ले लिया और मुहर लगा कर मतपेटियों में डालने की सूचना दी गई करने की कोई रिपोर्ट थी और मामले की परिस्थितियों में पुनर्मतगणना के संबंध में नया निर्णय लिया गया और अधिसूचना जारी की गई।

(5) अपने अलग जवाब दावे में, प्रतिवादी नंबर 5 ने इस बात से इनकार किया कि क्या उसे स्थानीय विधायक की मदद मिली थी और कि उसने चुनाव कर्मचारियों पर राजनीतिक दबाव डाला था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उनके समर्थकों द्वारा मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की गई है। बल्कि याचिकाकर्ता के समर्थकों ने स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया था और उपायुक्त, पुलिस और अन्य सभी अधिकारी तनाव में थे क्योंकि याचिकाकर्ता के समर्थन वाले असामाजिक तत्वों ने परिणाम घोषित होने के बाद अराजकता पैदा कर दी थी। उन्होंने दावा किया कि वोटों की गिनती के बाद उन्हें विधिवत निर्वाचित घोषित कर दिया गया। मतगणना पूरी होने और परिणाम घोषित होने के बाद झूठी FIR दर्ज करायी गयी।

(6) पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया है।

(7) पार्टियों का यह साझा मामला है कि गांव के सरपंच पद के लिए मतदान शांतिपूर्ण नहीं था। यह भी विवादित नहीं है कि जब शुरू में याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित किया गया और बाद में उसी स्थान पर प्रतिवादी नंबर 5 को चुनाव में अधिक वोट प्राप्त करने की घोषणा की गई, तो माहौल तनावपूर्ण हो गया जिससे नाराजगी पैदा हुई और गांव राजौंद के सरपंच पद के चुनाव के संबंध में चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में चुनाव अधिकारियों के संदिग्ध खेल के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया। इतना ही नहीं, श्री जय हिंद, मतदान अधिकारी और गांव के अन्य निवासियों के खिलाफ भी पुलिस में मामला दर्ज किया गया। चुनाव

के दौरान मतपत्रों के साथ छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग, मतपत्र छीनने और गड़बड़ी की खबरें भी अखबारों में छपीं। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे और उपायुक्त ने स्वयं मौके पर तथ्यों की जांच करने के बाद और सभी पीठासीन अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी और इस बात से संतुष्ट थे कि मतदान प्रक्रिया को ख़राब कर दिया गया और इसे कानून के अनुसार संचालित नहीं किया गया।

(8) हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 (संक्षेप में इसे "नियम" कहा जाएगा) का नियम 61 कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में नए सिरे से मतदान की प्रक्रिया प्रदान करता है, जहां मतदान के दौरान, वोटों को नष्ट करना, हानि या उनके साथ छेड़छाड़ करना या बूथ कैप्चरिंग हो जाती है। नियमों का नियम 61 इस प्रकार है:-

> "61. विनाश आदि या मतपेटी के मामले में ताजा मतदान- (1) यदि किसी चुनाव में-
>
> (a) किसी मतदान केंद्र पर इस्तेमाल की गई कोई भी मतपेटी पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) की हिरासत से गैरकानूनी तरीके से ले ली जाती है, या गलती से या जानबूझकर नष्ट कर दी जाती है या खो जाती है या इस हद तक क्षतिग्रस्त या छेड़छाड़ की जाती है, कि उस मतदान केंद्र पर मतदान का परिणाम सुनिश्चित नहीं किया जा सकता; या
>
> (b) प्रक्रिया में कोई भी ऐसी त्रुटि या अनियमितता जिससे मतदान खराब होने की संभावना हो, मतदान केंद्र पर किया जाता है, रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत), तुरंत जिला चुनाव अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से राज्य चुनाव आयुक्त को मामले की रिपोर्ट करेगा।

(2) उसके बाद, राज्य चुनाव आयुक्त, सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद, या तो-

(a) मतदान केंद्र पर मतदान को शून्य घोषित करेगा और उस मतदान केंद्र पर नए सिरे से मतदान करने के लिए एक दिन नियुक्त करेगा, और घंटे तय करेगा और इस प्रकार नियुक्त दिन और इस प्रकार तय किए गए घंटों को ऐसी रीति से अधिसूचित करेगा जैसा वह उपयुक्त समझे; या

(b) यदि संतुष्ट हैं कि उस मतदान केंद्र पर नए मतदान का परिणाम किसी भी तरह से चुनाव के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा या प्रक्रिया में त्रुटि या अनियमितता महत्वपूर्ण नहीं है, तो रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) को ऐसे निर्देश जारी करें जैसा कि यह चुनाव के आगे संचालन और समापन के लिए उचित समझे।

(3) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के प्रावधान ऐसे प्रत्येक नए मतदान पर वैसे ही लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान पर लागू होते हैं।"

9. अधिसूचना, अनुलग्नक P-1, जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 2- राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा द्वारा जारी की गई थी। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों से ऐसी ही रिपोर्ट प्राप्त होने पर कुछ अन्य मतदान केंद्रों के संबंध में अधिसूचना एक साथ जारी की गई थी। अधिसूचना का प्रासंगिक भाग, अनुलग्नक P-1, निम्नानुसार निकाला गया है:- "जबकि उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारी (पंचायत), फरीदाबाद, गुड़गांव, कैथल और महेंद्रगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि प्रक्रिया में कुछ त्रुटियों और अनियमितताओं के कारण हिंसा भड़की, मतपत्र और मतपेटियां छीन ली गईं और मतपत्र और परिणाम पत्रक और अन्य चुनाव सामग्री को उपरोक्त जिलों में संबंधित मतदान केंद्रों पर नष्ट कर दिया

गया। जिलों में कुछ मतदान केंद्रों के संबंध में मतदान प्रक्रिया को दूषित कर दिया गया है और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव नहीं कराए गए हैं।

“जबकि राज्य चुनाव आयुक्त रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) की रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) से प्राप्त सिफारिशों की जांच करने और सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट हैं कि उक्त जिलों के विभिन्न मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रक्रिया दूषित हो गयी है।

अब, राज्य चुनाव आयुक्त, हरियाणा , हरियाणा पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के नियम 61 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इन मतदान केंद्रों पर मतदान को शून्य घोषित करते हैं और पंचों, सरपंचों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पहले से ही अधिसूचित मतदान केंद्रों/ बूथों पर नए सिरे से चुनाव कराने के आदेश देते हैं:-

क्रम संख्या	जिले/ ब्लॉक का नाम	मतदान केंद्रों का नाम	जिस तारीख को नया मतदान होना है	कार्यालय जिसके लिए मतदान (आयोजित) किया जाएगा
1	2	3	4	5
xx		xx	xxx	xxx
xx		xx	xxx	

13	कैथल	ग्राम पंचायत राजौंदजौं का पोलिंग बूथ नंबर 5	18-3-2000	पंच वार्ड क्रमांक 10 एवं सरपंच हेतु

मतदान का समय प्रातः 8.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक रहेगा। राज्य चुनाव आयुक्त का यह भी निर्देश है कि संबंधित पंचों और सरपंचों के लिए वोटों की गिनती मतदान समाप्ति के बाद उसी दिन की जाएगी, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के संबंधित वार्डों के लिए वोटों की गिनती मतदान समाप्ति के बाद 18-3-2000 को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा अधिसूचित स्थानों पर की जाएगी ।

10. यह भी विवादित नहीं है कि जिला चुनाव अधिकारी यानी उपायुक्त, कैथल ने अधिसूचना, अनुलग्नक P-1 प्राप्त होने पर तुरंत राज्य चुनाव आयुक्त को 18-3-2000 को नए सिरे से मतदान कराने में असमर्थता की सूचना दी और अनुरोध किया कि पुनर्मतदान की तिथि 22-3-2000 तक स्थगित कर दी जाये। हालाँकि, उपरोक्त तिथि पर पुनर्मतदान का निर्देश देने के बजाय, चुनाव आयुक्त द्वारा 3-4-2000 को अधिसूचना, अनुलग्नक P-2 जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना जारी करने की परिस्थितियाँ या कारण लगभग अधिसूचना में ही स्थान पाते हैं। विवादित अधिसूचना, अनुलग्नक P-2 को पढ़ने से यह सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग द्वारा एकत्र की गई सामग्री के अनुसार यह दिए गए परिस्थितियों में नए सिरे से मतदान या पुनर्गणना का मामला था, इसके अलावा क्या चुनाव आयोग अधिसूचना अनुलग्नक P-1 को रद्द करके और बाद में विवादित अधिसूचना, अनुलग्नक P-2 जारी करके इस समीक्षा की शक्ति

का प्रयोग कर सकता है। यह चुनाव आयुक्त-प्रतिवादी नंबर 2 का मामला है कि ट्रिब्यून में दिनांक 18-3-2000 की खबरों को देखने पर पता चला कि पीठासीन अधिकारी ने श्री दाना राम को 196 वोटों से निर्वाचित घोषित किया और बाद में उन्के प्रतिद्वंद्वी (प्रतिवादी संख्या 5) श्री. सूरत सिंह को 106 वोटों से विजयी घोषित कर दिया। यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि परिणाम पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषित किया गया था या नहीं, इसके अलावा उपायुक्त को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि मतपत्र छीनने और मतपत्र फाड़ने की सूचना किस चरण में हुई थी, यदि ऐसा है , क्या गिने हुए मतपत्र भी छीन कर फाड़ दिये गये थे। चुनाव आयुक्त ने बूथ नंबर 1, 2, 4 से 10 के पीठासीन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों, पंचायत समितियों, राजौंदजौं -सह-जिला राजस्व अधिकारी कैथल और अतिरिक्त उपायुक्त को भी बुलाया और 1-4-2000 को उनके बयान दर्ज किए और मतदान केंद्र नंबर 3 के पीठासीन अधिकारी 3-4-2000 को और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, राजौंद 2-4-2000 को उपस्थित हुए। चुनाव आयोग अनुबंध-P-2 के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सरपंच का परिणाम मतदान केंद्र संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषित नहीं किया गया था और यह नए मतदान का मामला नहीं था। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह पुनर्मतगणना का मामला नहीं था और इसे निम्नानुसार देखा गया:

> "क्या अभिलेखों की जांच और उपर्युक्त अधिकारियों को सुनने पर, यह पाया गया कि यह पुनर्मतगणना का मामला भी नहीं है क्योंकि पुनर्गणना की किसी भी मांग का कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिवाय इसके कि बूथ नं. 1 के पीठासीन अधिकारी ने 1-3-2000 को आयोग के समक्ष दिए गए अपने बयान में उल्लेख किया कि एक उम्मीदवार ने बूथ संख्या 5 पर पुनर्मतदान के लिए कहा था लेकिन यह किसी अन्य सबूत या किसी अन्य अधिकारी के बयान से प्रमाणित नहीं है।"

11. अधिसूचना में आगे उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है:- "क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतदान केंद्रों के संबंधित मतदान अधिकारियों द्वारा फॉर्म 15 के भाग- I में तैयार किए गए और मतदान केंद्र संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी के फॉर्म 15 के भाग-2 पर समेकित किए गए सरपंच के चुनाव के लिए परिणाम पत्रक जिला अधिकारियों से सभी अनुरोधों के बावजूद आयुक्त को इस आधार पर उपलब्ध नहीं कराया गया कि बूथ नंबर 1 के पीठासीन अधिकारी द्वारा उन परिणाम पत्रों को रिटर्निंग अधिकारी, राजौंद को नहीं सौंपा गया था, जो मतदान और गिनती के समापन पर मतदान सामग्री प्राप्त करने के लिए ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी थे।
जबकि बूथ संख्या 1 के पीठासीन पदाधिकारी ने 1 एवं 2 अप्रैल 2000 को आयोग के समक्ष दिये अपने बयान में बताया था कि ये रिपोर्ट उनके द्वारा रिटर्निंग पदाधिकारी पंचायत समिति-सह-जिला राजस्व अधिकारी, कैथल को दी गयी थी लेकिन बीडीओ पंचायत समिति, राजौंद-सह-जिला राजस्व अधिकारी का कहना था कि ये रिपोर्ट उन्हें नहीं दी गई। मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए फॉर्म 15 के भाग- I और फॉर्म 15 के भाग- II की अनुपस्थिति में, जिस पर ये परिणाम पत्र बूथ नंबर 1 के पीठासीन अधिकारी द्वारा समेकित किए गए थे, परिणाम घोषित करना संभव नहीं है। जबकि इस परिस्थिति में आयोग के पास ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव के लिए डाले गए वोटों की दोबारा गिनती करके उन परिणाम पत्रों को फिर से बनाने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।"

12. आक्षेपित अधिसूचना से निकाले गए उपरोक्त विवरण में कोई संदेह नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया में स्पष्ट अनियमितताएं थीं, जिसने पूरे चुनाव को खराब कर दिया, यहां तक कि चुनाव आयोग भी सामग्री यानी परिणाम पत्रक आदि एकत्र करने में असमर्थ था और उसका पुनः निर्माण कराया गया। हैरानी की बात है कि सब कुछ कैथल में चुनाव कर्मचारियों को बुलाकर किया गया था और, माना जाता है कि याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया था और न ही जब रिकॉर्ड तैयार किया गया था या दोबारा

गिनती की गई थी तो वह वहां मौजूद था। आक्षेपित अधिसूचना रिपोर्ट अनुलग्नक R-2/4 पर आधारित है जो “ग्राम पंचायत राजौंद , जिला कैथल के सरपंच के चुनाव के लिए नए सिरे से मतदान के लिए उपायुक्त, कैथल की सिफारिश - राज्य चुनाव आयोग द्वारा किए गए पुनर्मतगणना के आदेश" विषय पर है। यह राज्य निर्वाचन आयोग के कामकाज पर एक दिलचस्प रीडिंग देता है । इसे सभी चुनाव अधिकारियों के बयान दर्ज करने के बाद तैयार किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि पुनर्मतगणना का मामला बनाने के लिए बयानों को तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, बूथ संख्या 7, 8 और 9 के पीठासीन अधिकारियों ने चुनाव आयुक्त के समक्ष अपने बयान में कहा कि उनके मतदान केंद्रों पर मतदान और गिनती सुचारू रूप से हुई और किसी भी प्रकार की मतदान और गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं हुई और कि मतगणना के बाद सरपंच के लिए उनके मतदान केंद्रों की रिजल्ट शीट बूथ नंबर 1 के पीठासीन अधिकारी को सौंप दी गई। उन्होंने आगे कहा कि बूथ नंबर 10, 6, 5, 8 और 2 के पीठासीन अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोग मतदान के समय मतदान केंद्र में घुस आए और मतदान में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन अपने मतदान कर्मचारियों की मदद से , उन्होंने उन पर काबू पा लिया और मतपेटियों, मतपत्रों और अन्य मतदान सामग्री को किसी भी क्षति से बचाने/बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने आगे कहा कि मतदान केंद्र संख्या 10 पर एक या दो मतपत्र किसी ने छीन लिए थे लेकिन उन्हें वापस ले लिया गया। इसके अलावा मतदान केंद्र संख्या 6 पर, एक या दो गिने हुए मतपत्रों को एक मतगणना एजेंट द्वारा फाड़ दिया गया था, लेकिन दो टुकड़ों में इन मतपत्रों को वापस ले लिया गया और गिने गए मतों के बंडल में रख दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि मतदान केंद्र संख्या 5 पर, 70 मतपत्रों और 30 काउंटरफ़ोइल वाले एक बंडल को कुछ व्यक्तियों द्वारा छीन लिया गया और ले लिया गया, लेकिन इस बंडल से किसी भी मतपत्र पर मुहर नहीं लगाई गई और मतपेटी में नहीं डाला गया। मतदान केंद्र संख्या 4 पर एक व्यक्ति ने दो मतपत्र छीनने की कोशिश की और उस घटना में ये मतपत्र खराब हो गए लेकिन

उन्हें वापस ले लिया गया। हालाँकि, बूथ संख्या 6 के पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि "बूथ पर कब्ज़ा कर लिया" (बूथ पर कब्ज़ा कर लिया गया) शब्दों से उनका मतलब था कि भीड़ बूथ में बनी रही और इसीलिए मतदान स्थगित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कोई समस्या उत्पन्न नहीं की और मतपेटियों, मतपत्रों तथा अन्य मतदान सामग्री को कोई क्षति, विनाश नहीं किया गया। मतदान केंद्र संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मतपत्र फाड़ दिए गए और मतपत्र जारी करते समय और काउंटरफॉइल से अलग करते समय एक या दो मतपत्र एक ओर से फट गए। । हालाँकि, मतपेटियों, मतपत्रों या अन्य मतदान सामग्री को कोई अन्य क्षति या विनाश नहीं हुआ। बूथ नंबर 1 के पीठासीन अधिकारी श्री जय हिंद, जिन्हें सभी बूथों की परिणाम शीट को समेकित करने और सरपंच के परिणाम घोषित करने के उद्देश्य से रिटर्निंग ऑफिसर का काम सौंपा गया था, ने स्पष्ट किया कि मतदान या गिनती के दौरान, उनके मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई और सभी 9 मतदान केंद्रों से सरपंच के लिए परिणाम पत्रक सुबह 9 बजे से पहले उन्हें सौंप दिए गए थे और बूथ नंबर 1 के लिए परिणाम पत्रक उनके द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि फॉर्म-15 पर परिणाम पत्रक को समेकित करने के बाद, हालांकि उन्होंने ने कुल पूरा कर लिया था, लेकिन वहां परेशानी और अशांति के कारण, वह यह घोषणा नहीं कर सके कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने मौखिक रूप से दोबारा गिनती की मांग की थी लेकिन दोबारा गिनती नहीं की गई। उन्होंने 17-3-2000 को बूथ नंबर 1 के पीठासीन अधिकारी की डायरी रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत समिति), राजौंद-कम-डीआरओ को सौंप दी थी। उन्होंने चुनाव आयुक्त के समक्ष स्वीकार किया कि 17-3-2000 को रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में कैथल के पंचायत भवन में सभी पीठासीन अधिकारियों से पीठासीन अधिकारियों की डायरियां भी नए सिरे से तैयार करवाई गईं। उनसे 17-3-2000 को PWD रेस्ट हाउस में एक रिपोर्ट लिखवाई गई। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी मूल पीठासीन अधिकारी डायरी जो

DRO को दी गई थी, वह उस पीठासीन अधिकारी डायरी से कुछ अलग थी जो उनसे कैथल के पंचायत भवन में लिखवाई गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी रिपोर्ट में जो कुछ भी उनसे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस कैथल में लिखवाया गया था, वह सब गलत था। जिला राजस्व अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उपायुक्त को पुनर्मतदान की सिफारिश करने की उनकी रिपोर्ट मतदान केंद्र संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट और डायरी पर आधारित थी।

13. ग्राम पंचायत राजौंद के सरपंच के लिए फॉर्म संख्या 15 और 19 में परिणाम पत्र खंड विकास और पंचायत अधिकारी, राजौंद को मतदान और गिनती के समापन के बाद प्राप्त नहीं हुए थे, जिन्हें मतदान केंद्र क्रमांक 1 के पीठासीन अधिकारी श्री जय हिंद द्वारा प्रस्तुत किया जाना था। अतिरिक्त उपायुक्त ने 24-3-2000 को अपने बयान में विशेष रूप से कहा कि मतदान प्रक्रिया और मतगणना प्रक्रिया दोनों में अनियमितताएं हुई थीं और बूथ संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 10 के पीठासीन अधिकारी की डायरी ने पुष्टि की कि मतदान प्रक्रिया और मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ी और मतपत्र छीनने, बूथ पर कब्जा करने, मतपत्रों को नष्ट करने और अनियमितताएं होने की घटनाएं हुई हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने पुष्टि की कि मतदान केंद्र संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणा के कारण समस्याएं शुरू हुईं। रिपोर्ट आगे इस प्रकार कहती है:-

> "यह आश्चर्य की बात है कि सभी 10 मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा फॉर्म नंबर 15 पर तैयार किए गए परिणाम पत्रक और फॉर्म नंबर 15 के भाग- II और तीन अन्य रफ शीट, जिस पर 10 बूथों के इन परिणाम पत्रों को मतदान केंद्र संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी द्वारा समेकित किया गया था, जिला अधिकारियों से किए गए अनुरोध के बावजूद आयोग को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।"

14. रिपोर्ट में आगे इसका उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है:-

यह भी आश्चर्य की बात है कि बूथ संख्या 1 के पीठासीन अधिकारियों ने अब यह बयान दिया है कि सभी 10 पीठासीन अधिकारियों से पीठासीन अधिकारी डायरी 17-3-2000 को नये सिरे से लिखवाई गयी थी।

फिर रिपोर्ट में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है:-

आयोग के ध्यान में लाया गया एक और गंभीर मामला यह है कि 17-3-2000 को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पीठासीन अधिकारी नंबर 1 से कथित तौर पर एक रिपोर्ट लिखवाई गई थी जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि बूथ नंबर 1 की उनकी डायरी में उन्होंने दिखाया था कि 154 से लेकर 200 तक के मतपत्रों को जबरन छीन लिया गया और जबरन एक प्रत्याशी के पक्ष में मुहर लगाकर मतपेटी में डाल दिया गया । आयोग के समक्ष बयान देते समय उन्होंने कहा था कि उन्हें पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उस रिपोर्ट में ऐसी बात लिखने के लिए मजबूर किया गया था । उन्होंने आयोग के समक्ष दिए अपने बयान में भी इस बात से इनकार किया है । उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की रिपोर्ट उन्होंने अपनी मूल पीठासीन अधिकारी डायरी में नहीं लिखी थी, क्योंकि यह उनसे पीठासीन अधिकारी की डायरी पर लिखवाया गया था, जिसे रिटर्निंग अधिकारी, पंचायत समिति राजौंद-सह-जिला राजस्व अधिकारी, कैथल की उपस्थिति में 17-3-2000 को नए सिरे से तैयार किया गया था जब जिला राजस्व अधिकारी पंचायत भवन में प्रबंधक कक्ष में बैठे थे।

15. रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाले बयान दिए गए जो इस प्रकार हैं:-

"इस मामले में, मतदान केंद्र पर इस्तेमाल की गई कोई भी मतपेटी पीठासीन अधिकारी की हिरासत से अवैध रूप से नहीं ली गई है और न ही कोई मतपत्र नष्ट किया गया है या खो गया है या क्षतिग्रस्त या छेड़छाड़ किया गया है। इसी तरह प्रक्रिया में कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं है जो मतदान केंद्र पर मतदान को खराब कर सकती है । इसलिए, इस मामले में नए सिरे से मतदान का कोई मामला नहीं बनता है।

ऐसा लगता है कि उपायुक्त के पत्र दिनांक 17-3-2000 और 18-3-2000 में पुनर्मतदान के लिए सिफारिशें करते समय हरियाणा पंचा यत राज चुनाव नियम, 1994 के नियम 61 के प्रावधानों के आलोक में इस मामले में पीठासीन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति) आदि की डायरियों और रिपोर्टों की उचित जांच नहीं की जा सकी। । इसके अलावा यह एक पुनर्गणना का मामला भी नहीं बनता है क्योंकि रिकॉर्ड पर किसी ने भी पुनर्गणना के लिए नहीं कहा था और अन्यथा भी पुनर्गणना का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। यदि परिणाम पत्रक मतदान केंद्र संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी या खंड विकास और पंचायत अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी, पंचायत समिति, राजौंदजौं या जिला चुनाव अधिकारी (पी) कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, अब जो आवश्यक है वह फॉर्म नंबर 15 के भाग- II में सभी मतदान केंद्रों के सरपंचों की परिणाम शीट को जोड़ना है, यदि पहले से ही ठीक से नहीं किया है और तदनुसार परिणाम घोषित किया जाएगा। लेकिन चूंकि संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा तैयार की गई परिणाम पत्रक नहीं आ रही हैं, इसलिए इन परिणाम पत्रक के पुनर्निर्माण के बाद ही परिणाम घोषित किया जा सकता है।

16. अंत में, रिपोर्ट में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है:-

"इन परिस्थितियों में, आयोग के पास सभी 10 बूथों पर इस ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव के लिए डाले गए वोटों की दोबारा गिनती करके इन परिणाम पत्रों को फिर से बनाने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। आयोग की अधिसूचना नंबर SEC/E-III/2000/8034, दिनांक 17-03-2000 के तहत पहले पंच वार्ड नंबर 10 और सरपंच राजौंद के लिए ताजा मतदान के जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया गया है और सरपंच ग्राम पंचायत, राजौंद के चुनाव के लिए वोटों की दोबारा गिनती 6-4-2000 को पंचायत भवन, कैथल में किए जाने का आदेश दिया गया है। उपायुक्त सभी उम्मीदवारों को पुनर्मतगणना के बारे में नोटिस के माध्यम से सूचित करेंगे और पूर्ण

सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। पुनर्मतगणना अतिरिक्त उपायुक्त, कैथल की देखरेख में की जाएगी।"

17. ऊपर जो कहा गया है, उसके अवलोकन से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि पुनर्मतदान के आदेश को वापस लेना या रद्द करना ऊपर उल्लिखित सामग्री पर आधारित है, जो प्रथम दृष्टया, 16-3-2000 को मतदान के बाद उपायुक्त सहित चुनाव अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक स्थिति दर्शाती पिछली रिपोर्टों पर कि गांव राजौंद में सरपंच पद के लिए वोटों के मतदान के दौरान क्या हुआ था, इस न्यायालय के विश्वास की पुष्टि करता है। । यह तथ्य कि परिणाम उस सामग्री से दोबारा बनाए गए थे जो बूथ नंबर 1 के पीठासीन अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी, याचिकाकर्ता की दलील का समर्थन करता है कि ऐसे सभी दस्तावेज़ और सामग्री बाद में दोबारा गिनती का मामला बनाने के लिए निर्मित की गई थीं। कहने की जरूरत नहीं है कि फॉर्म 15 और 19 वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा के बाद तैयार किए जाते हैं। फॉर्म-15 भाग-I और भाग-II गांव के सरपंच के लिए वोटों की गिनती से संबंधित है, जिसका नमूना इस प्रकार है:

फॉर्म-15

गांव के सरपंच के लिए वोटों की गिनती

भाग I

"मतदान केंद्र संख्या---------------------

सम्मिलित वार्डों की क्रम संख्या---------------------

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	(उम्मीदवार) के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

वैध मतों की कुल संख्या-------------------------------------
अस्वीकृत मतों की कुल संख्या--------------------------------
डाले गए वोटों की कुल संख्या----------------------
जगह--------------
तारीख--------------

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत)/अधिकारी

भाग II

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया वोट			कुल
		मतदान केंद्र क्रमांक 1.	मतदान केंद्र क्रमांक 2.	मतदान केंद्र क्रमांक 3.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

गाँव में वैध मतों की कुल संख्या------------------
गांव में अस्वीकृत की कुल संख्या----------------------
गाँव में पड़े मतों की कुल संख्या-------

स्थान: रिटर्निंग अधिकारी,
(पंचायत) द्वारा प्राधिकृत

रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत/अधिकारी)
दिनांक:

18. फॉर्म 19 सरपंच, ग्राम पंचायत के चुनाव की वापसी से संबंधित है, जिसका नमूना इस प्रकार है:-

फॉर्म 19

सरपंच ग्राम पंचायत के लिए चुनाव वापसी का प्रपत्र -------------सरपंच के लिए चुनाव----------------------

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या मतदान केंद्र संख्या-	कुल वैध मतों की संख्या

1

2 3 4 5

(1)	(2)	(3)

1.
2.
3.
4.
5.

वैध मतों की कुल संख्या----------------------
अवैध मतों की कुल संख्या----------------------
डाले गए मतों की कुल संख्या----------------------
मैं घोषणा करता हूं कि----------------------

पता---------------------------- --------------------------------
----- विधिवत निर्वाचित किया गया है

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत
रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)/ अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक ----------------------------------

19. माना जाता है कि विभिन्न बूथों के पीठासीन अधिकारियों ने वोटों की गिनती के लिए फॉर्म-15 तैयार कर लिया है, जिसे परिणाम की घोषणा के प्रयोजनों के लिए समेकित किया जाना था। हालाँकि, इसी तरह का फॉर्म बूथ नंबर 1 के पीठासीन अधिकारी द्वारा भी तैयार किया गया था और अतिरिक्त उपायुक्त के अनुसार बूथ नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 10 के पीठासीन अधिकारियों द्वारा तैयार की गई डायरी से मतदान प्रक्रिया और मतगणना प्रक्रिया में मतपत्र छीनने, बूथ कैप्चरिंग, मतपत्र नष्ट करने और अनियमितताओं की गड़बड़ी और घटनाओं के बारे में पुष्टि हुई है और सभी 10 मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए प्रपत्र 15 और प्रपत्र-15 के भाग-II में और तीन अन्य रफ शीट, जिन पर मतदान केंद्र संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी द्वारा 10 बूथों की इन परिणाम शीटों को समेकित किया गया था, आयोग को उपलब्ध नहीं कराई गईं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि इन दस्तावेजों को कैसे और किस तरह से पुनर्निर्मित गया और वह भी कैथल के गेस्ट हाउस में बैठे मतदान कर्मचारियों द्वारा, उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की अनुपस्थिति में। उपरोक्त रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं कहा गया है या उल्लेख नहीं किया गया है कि मतपेटियों में डाले गए और पाए गए वोटों की संख्या का किसी भी समय मिलान किया गया था और जिसके अभाव में ऐसे किसी भी परिणाम का पुनर्निर्माण भी संभव नहीं था।
20. अजीब बात है कि चुनाव आयोग ने सभी चुनाव अधिकारियों के बयान दर्ज किए, लेकिन उपायुक्त यानी जिला रिटर्निंग अधिकारी से पूछताछ नहीं की,

जिनकी देखरेख में पूरी चुनाव प्रक्रिया हुई और वह गांव में चुनाव के समय मौजूद थे और मतदान प्रक्रिया का सत्यापन करने के बाद, उन्होंने स्वयं चुनाव आयोग से अनुशंसा में दिए गए कारणों से मतदान ख़राब होने के कारण पुनर्मतदान कराने की अनुशंसा की थी। अनुबंध R 2/4 से पता चलता है कि चुनाव आयोग ने मतदान अधिकारियों के बयानों पर भरोसा किया, जिन्होंने स्वीकार किया कि पुनर्गणना के मामले को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने उपायुक्त को दी गई अपनी रिपोर्ट और बयानों को बदल दिया। यह अजीब बात है कि जिस मतदान अधिकारी ने अपनी पिछली रिपोर्ट में बूथ पर कब्ज़ा कर लिया कहा था, उसने चुनाव आयुक्त के सामने अपने बयान में इसका दूसरा अर्थ दिया और कहा कि उनका मतलब था कि बूथ पर भीड़ बनी रही और इसीलिए मतदान निलंबित हुआ। इसी प्रकार बूथ क्रमांक 3 के मतदान अधिकारी का कथन, कि मतपत्र फाड़ दिये का तात्पर्य यह है कि मतपत्र जारी करते समय तथा प्रतिपर्ण से अलग करते समय एक या दो मतपत्र एक तरफ से फट गये थे, इसके अलावा मतपत्रों को कोई क्षति या विनाश नहीं हुआ था, स्वीकार कर लिया गया है, जिसका प्रथमतः अर्थ बूथ पर कब्जा करना और मतपत्रों को नष्ट करना है।

21. जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, पंचायत भवन, कैथल में चुनावी अधिकारियों यानी विभिन्न बूथों के पीठासीन अधिकारियों के बयान स्पष्ट रूप से इस आधार पर पुनर्मतगणना का मामला बनाने के लिए तैयार किए गए थे कि चूंकि परिणाम बूथ नंबर 1 के पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषित किया गया था जिस को ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया था, इसलिए नए सिरे से मतदान की आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, जब पीठासीन अधिकारियों के बयानों को उनके पहले के बयानों को नया अर्थ देते हुए बदल दिया गया, तो चुनाव आयोग द्वारा अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने की बात तो दूर, ऐसे सबूतों को निर्णय का आधार भी नहीं बनाया जाना चाहिए था। भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनाव आयोग को विभिन्न चुनावी निकायों के लिए चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अपने कार्यों के निर्वहन में यह चुनाव कराने के संवैधानिक दायित्व का पालन करता

है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 212 में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए मतदाता सूची की तैयारी और सभी चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है । हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 का नियम 14 राज्य चुनाव आयुक्त को ऐसे विशेष या सामान्य आदेश या निर्देश जारी करने का अधिकार देता है जो अधिनियम के प्रावधानों और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के साथ असंगत नहीं हैं । चुनाव आयोग के गठन और चुनाव आयुक्त के अधिकार का उद्देश्य पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना/संचालित करना है। गांव राजौंद में सरपंच पद के लिए ऊपर वर्णित तरीके और परिस्थितियों में मतदान का संचालन असंगत और चुनाव आयुक्त के कर्तव्यों के अनुरूप हुआ है इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

22. इन परिस्थितियों में चुनाव आयुक्त का निर्णय, जो खुला है और न्यायिक समीक्षा के अधीन है, न केवल अवैध था बल्कि तथ्यात्मक रूप से गलत भी था। राज्य चुनाव आयुक्त संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी एक प्राधिकारी है । इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या चुनाव आयुक्त अपने पहले के आदेशों की समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में कहीं भी चुनाव आयुक्त के पास समीक्षा की ऐसी किसी शक्ति का उल्लेख नहीं है । चुनाव आयुक्त द्वारा अंतर्निहित अधिकार के रूप में ऐसी किसी शक्ति का दावा नहीं किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि समीक्षा की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब उसे उस क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो जिसके तहत उसे अपना अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम या हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 में कहीं भी चुनाव आयुक्त के पास अपनी समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के ऐसे किसी अधिकार क्षेत्र का उल्लेख नहीं है। चुनाव आयुक्त द्वारा पुनर्मतदान का निर्देश देने वाली

अपनी पिछली अधिसूचना को रद्द करने और उसके स्थान पर पुनर्मतगणना का आदेश देने की पारित की गई अधिसूचना, इस प्रकार, अधिकार क्षेत्र से परे है, जो कानून के तहत मान्य नहीं है। चुनाव लड़ने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक का वैधानिक अधिकार है। चुनाव आयोग द्वारा पारित कोई भी आदेश जिसका नागरिक के चुनावी अधिकार पर असर पड़ता है, वह अपने आप में अर्ध-न्यायिक प्रकृति का होता है। ऐसा कोई भी अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी अपने आदेशों की समीक्षा नहीं कर सकता, जब तक कि उसे अधिनियम के तहत समीक्षा की शक्ति प्राप्त न हो। निर्भरता के लिए *डॉ. श्रीमती कुन्तेश गुप्ता बनाम हिंदू कन्या महाविद्यालय का प्रबंधन, सीतापुर (यूपी) और अन्य*[1] के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और *दीप चंद और अन्य बनाम अतिरिक्त निदेशक जोत चकबन्दी जालंधर, पंजाब और अन्य*[2] में इस न्यायालय का निर्णय संदर्भित हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, चुनाव परिणामों के पुनर्निर्माण या यहां तक कि दोबारा गिनती की कवायद करके याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और न ही ऐसा कोई आदेश रिकॉर्ड पर रखा गया है। माना गया है कि आक्षेपित अधिसूचना के तहत पुनर्मतगणना याचिकाकर्ता के पीछे की गई थी, जो पूरी तरह से हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के स्पष्ट प्रावधान के खिलाफ है । नियमों का अध्याय X वोटों की गिनती के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है। नियम 62 उम्मीदवार या उसके काउंटिंग एजेंट को गिनती के समय उपस्थित रहने का अधिकार देता है और नियम 69(2) उम्मीदवार या उसके एजेंट को पहले से गिने गए सभी या किसी भी मतपत्र की दोबारा गिनती करने का अधिकार देता है, जिसके आधार पर वह दोबारा गिनती मांग करता है। नियम 69 का उपनियम (6) निम्नानुसार प्रदान करता है:-

> (6) उप-नियम (1) या उप-नियम (5) के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोटों की कुल संख्या घोषित होने के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, परिणाम पत्रक को पूरा

---

[1] AIR 1987 SC 2186

[2] 1994 Vol. LXVI. P.L.R. 318 (F.B.)

करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद पुनर्गणना के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि इस उप-नियम के तहत गिनती पूरी होने पर कोई भी कदम तब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक कि गिनती पूरी होने पर मौजूद उम्मीदवारों और गिनती एजेंटों को उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है।"

23. इन परिस्थितियों में, वोटों की गिनती या पुनर्गणना के समय किसी उम्मीदवार या उसके अधिकृत एजेंट की उपस्थिति से छुटकारा नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में मतदान/रिटर्निंग अधिकारी की ओर से वोटों की गिनती या पुनर्गणना के समय उम्मीदवार या उसके अधिकृत एजेंट को बुलाने या अनुमति देने में कोई भी चूक चुनाव के परिणाम को खराब कर देती है। माना जाता है कि, इस मामले में, याचिकाकर्ता को वोटों की दोबारा गिनती का कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया था , जिसमें उसे कैथल में खुद उपस्थित होने के लिए कहा गया था, जहां परिणाम पत्रक नए सिरे से तैयार किए गए थे और दोबारा गिनती के बाद, प्रतिवादी नंबर 5 के विवादित चुनाव की घोषणा की गई थी।

24. इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अधिसूचना दिनांक 17-3-2000, अनुलग्नक-P-1, जिसके द्वारा पुनर्मतदान की तारीख का आदेश दिया गया और तय किया गया, को प्रतिवादी संख्या 5 सूरत सिंह द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई, जिसका अर्थ है कि 16-3-2000 को चुनावी कर्मचारियों द्वारा जिस तरीके और स्थिति में मतदान कराया गया था, उसे देखते हुए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी पुनर्मतदान स्वीकार्य था।

25. ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, खासकर जब हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, तो इस सवाल कि क्या चुनाव आयोग/आयुक्त समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं का जवाब न में देना होगा। चुनाव आयुक्त को अपने पहले के आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है और उन्होंने अधिसूचना, अनुलग्नक P-1 को रद्द करते समय और दिनांक 3-4-2000 की अधिसूचना

अनुलग्नक P-2 के माध्यम से पुनर्गणना का नया आदेश पारित करते समय अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया।

26. ऊपर जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना, दिनांक 3-4-2000, अनुलग्नक P-2, जिसमें पुनर्गणना का निर्देश दिया गया था, को रद्द किया जाता है। राज्य चुनाव आयुक्त, हरियाणा -प्रतिवादी संख्या 2 को अधिसूचना, अनुलग्नक P-1 के अनुसार गांव राजौंद के सरपंच पद के लिए पुनर्मतदान कराने का निर्देश दिया जाता है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
बिलासपुर,यमुनानगर